

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक:- प.4 (63)/मुसप्र/वि.स./सा.प्रयो.समिति/नवीन पंजी. योजना/2012/ 112 दिनांक:- 15-5-12

कार्यालय आदेश

राज्य सरकार के निर्देशानुसार 13वीं विधानसभा के माननीय सदस्यों को आवास आवंटन हेतु कार्यालय आदेश क्रमांक प.4 (63)/मुसप्र/वि.स./सा.प्रयो.समिति/नवीन पंजी. योजना/2012/63 दिनांक 08.05.2012 के द्वारा इन्दिरा गांधी नगर, जयपुर के सेक्टर 8 में उच्च आय वर्ग के 126 आवासों के लिए दिनांक 16.05.2012 से 15.06.2012 तक नवीन पंजीकरण योजना प्रारम्भ करने की स्वीकृति जारी की गयी थी। उक्त स्वीकृत योजना के प्रारम्भ करने की दिनांक 16.05.2012 को अपरिहार्य कारणों से स्थगित किया जाता है।


मुख्य अभियन्ता

प्रातिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यावली हेतु :-

1. निजी सचिव-अध्यक्ष, / आवासन आयुक्त राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. मुख्य अभियन्ता / सचिव / वित्तीय सलाहकार / निदेशक विधि, रा0 आ0 म0, जयपुर।
3. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-तृतीय, रा0आ0म0, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-पी.एण्ड एम., राज0आवासन मण्डल, जयपुर।
5. वरिष्ठ निजी सहायक-मुख्य सम्पदा प्रबन्धक, रा0आ0म0, जयपुर।
6. जन सम्पर्क अधिकारी, रा0आ0म0, जयपुर को प्रेस नोट जारी कराने हेतु।
7. उप आवासन आयुक्त-वृत्त-तृतीय रा0आ0म0, जयपुर।
8. एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर, कम्प्यूटर प्रकोष्ठ, रा.आ.म., जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आदेश की प्रति मण्डल की वेबसाईट पर डलवायें व सभी संबन्धित को मेल करें।
9. रक्षित पत्रावली।


मुख्य अभियन्ता